

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या- 29/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक- 14.06.2021

श्यामलाल पिता श्री भूरालाल जी जाति नाई उम्र 60 साल निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. शम्भूगिरी पिता सुन्दर गिरी जाति गुसाई उम्र 55 निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. गुलाबचन्द पिता शंकर जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी साण्ड तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा अलसीगढ़ प0ह0 फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 51 की आराजी नं0 10 रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा अलसीगढ़ प0ह0 फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 51 की आराजी नं0 10 रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

